न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन **अधिकारी** का नाम महीपाल सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना **पत्र संख्या** 124 / 2022
निर्णय **दिनांक** 20.12.2023

1. शंकर लाल यादव पुत्र हरिनारायण यादव
2. शम्भू यादव पुत्र हरिनारायण यादव

समस्त जाति यादव, निवासीगण मकान नम्बर 1569, अहीरों की इमली, लुहारों का खुर्रा, घाटगेट, जयपुर।

3. सुमन यादव पत्नी अशोक यादव, जाति यादव, निवासी प्लॉट नम्बर 14, सुरजनगर, कालावाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. दीपेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पथराज, तहसील निवाई, जिला जयपुर।
2. ओमप्रकाश पुत्र रामफूल, जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. किशना देवी पत्नी प्रभूनारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम तामडिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
4. गायत्री पुत्री रामफूल, जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. तेजकरण पुत्र रामफूल,जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. दुलाराम पुत्र रामेश्वर, जाति मीणा, निवासी ग्राम खतेपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
7. धापू पुत्री रामफूल,जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. निशा पुत्री रामेश्वर मीणा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता रामेश्वर मीणा, जाति मीणा, ग्राम खतेपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
9. प्रभाती देवी पत्नी रामफूल,जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. पांची मीना पत्नी दीनदयाल मीना, जाति मीना, निवासी [illegible] इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर।
11. बल्लूराम पुत्र लक्ष्मण,जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:52:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

12. बसन्ती देवी पुत्री रामफूल,जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

13. बाबूलाल पुत्र श्योजी,जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

14. भुवाना पुत्र काल्या,जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

15. भागोती देवी पुत्री रामफूल,जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

16. मोहरपाल पुत्र लक्ष्मण,जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

17. राजेश पुत्र रामेश्वर मीणा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता रामेश्वर मीणा, जाति मीणा, ग्राम खतेपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

18. रामप्रसाद पुत्र श्योजी, जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

19. रामपाल पुत्र भोमा,जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

20. राहुल पुत्र रामेश्वर मीणा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता रामेश्वर मीणा, जाति मीणा, ग्राम खतेपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

21. लाला पुत्र काल्या, जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

22. लाली देवी पुत्री रामफूल,जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

23. सुशीला पुत्री रामफूल,जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

24. सावित्री देवी पत्नी भरत लाल मीना, जाति मीना, निवासी 38, कैलाशपुरी रेल्वे कॉलोनी के पास, भरतपुर।

25. सीताराम पुत्र भोमा, जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

26. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव, कार्यालय [illegible] भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, तहसील व जिला जयपुर।

27. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:52:41 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सिरोली, पटवार हल्का दांतली, भू–अभिलेख निरिक्षक गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 499/450 में भूमि खसरा नम्बर 1557 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3398/2439 रकबा 0.1520 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3400/2402 रकबा 0.0440 हैक्टेयर, कुल किता 3 रकबा 0.2760 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। इसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी 2074–2077 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी में अंकित है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी कृषि भूमि का तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांक भू.अ./22/सीमाज्ञान/2372–73 दिनांक 30.03.2022 के द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 11.04.2022 को करवाया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर 1557 एवं खसरा नम्बर 3400/2402 के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 3422/3399, 2175 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 26 है, उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 1556, 3421/3399, 3423/3399 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 एवं 26 है, दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 2173, 2174 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 26 है, पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1558 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 25 है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 26 आये दिन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखल अन्दाजी करते रहते है और जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है जिस कारण प्रार्थीगण अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते है और उक्त भूमि पर तारबन्दी करना चाहते है जिससे भविष्य में कोई पडौसी खातेदार काश्तकार किसी भी प्रकार का वाद विवाद नही करे इसलिए प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हो गई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खाता संख्या 499/450 में भूमि खसरा नम्बर 1557 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3400/2402 रकबा 0.0440 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.1240 हैक्टेयर ग्राम सिरोली, पटवार हल्का दांतली, भू–अभिलेख निरिक्षक गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.04.2022 के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 25 बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी संख्या 26 की ओर श्री राजेश कुमार वृशिष्ठ एडवाकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 26 की ओर से इस आशय का जवाब [illegible] गया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण [illegible] है जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 99 के तहत [illegible] विकास प्राधिकरण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र सुनने की अ[illegible] को प्राप्त नही है प्रार्थीगण द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम में दिये [illegible] प्रावधानों के विपरित जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि किसी भी प्रकार से पोषनीय नही है तथ सुनवाई के क्षेत्राधिकार के अभाव में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:52:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वतः खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा दावा दायरी पूर्व अप्रार्थी संख्या 26 जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई नोटिस नही दिया, जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 79 के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र दायरी पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के विपरित जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से आवश्यक प्रकृति का नही है। नोटिस के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वतः खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निराधार तथ्यो के आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण को बिना किसी युक्तियुक्त आधार के उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है जो कानूनी रूप से पोषनीय नही होने के कारण सरसरी तौर पर स्वतः ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 26 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1557 व खसरा नम्बर 3400/2402 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण का अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखना उनका विधिक अधिकार है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है जिसका उनको पूर्ण अधिकार है इस सम्बन्ध में अप्रार्थी को आपत्ति किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नही होता है, प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया है और उसी सीमाज्ञान की फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाना चाहा है जो विधि अनुकूल एवं न्यायोचित है, अप्रार्थी संख्या 26 द्वारा यह आपत्ति की गई कि प्रार्थना पत्र दायर करने से पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण को धारा 79 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम का नोटिस दिया जाना चाहिए, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा दावा प्रस्तुत नही किया गया है, धारा 79 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम का नोटिस दावा दायरी से पूर्व दिया जाता है यहां प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है, ना कि वाद पेश किया है, इसलिए प्रार्थीगण को धारा 79 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नही है। कृषि भूमि की पत्थरगढी करने के सम्बन्ध में भू–राजस्व अधिनियम के तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार भू–अभिलेख अधिकारी को प्राप्त है जो इसी न्यायालय को प्राप्त है, प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को पक्षकार पडौसी खातेदार होने के आधार पर बनाया गया है, प्रार्थीगण की भूमि के सम्बन्ध में अन्यत्र कोई अनुतोष नही चाहा गया है, प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:52:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1557 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3400/2402 रकबा 0.0440 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.1240 हैक्टेयर ग्राम सिरोली, पटवार हल्का दांतली, भू–अभिलेख निरिक्षक गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की फर्द मौका सीमाज्ञान–रिपोर्ट आदेश दिनांक 11.04.2022 के अनुसार के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:52:41 IST
Reason: SelfAttested